

अध्याय—III: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

3.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर (मू0स0क0) कानून एवं उसके अधीन बने नियमों को अपर मुख्य सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश शासित करते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0), उत्तर प्रदेश, वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं। उनके/उनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। 1 जुलाई, 2017, से विभाग राज्य में माल और सेवा कर (मा0से0क0) का प्रशासन भी देख रहा है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

● मा0से0क0 डेटा बेस की एक्सेस

मा0से0क0 कार्यान्वयन के लिये आई0टी0 प्लेटफार्म के आरम्भ के साथ, जी0एस0टी0 पोर्टल डेटा और कर विभाग की बैक-एण्ड प्रणाली का एक्सेस लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक हो जाता है जिससे कि प्रणाली की मजबूती के सम्बन्ध में आश्वासन प्राप्त किया जा सके। जी0एस0टी0 आई0टी0 प्रणालियों और डेटा तक पूर्ण एक्सेस के लिये नि0म0ले0प0 की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में, जी0एस0टी0एन0 ने भारत सरकार को नि0म0ले0प0 दलों के लिये लागिन क्रिडेंशियल बनाने के लिये अनुशंसा की थी (अक्टूबर 2016)।

इस कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया था¹ (अप्रैल 2018) कि भारत के नि0म0ले0प0 को कुछ प्रासंगिक प्रोटोकॉल्स के साथ मा0से0क0 डेटा को साझा किया जा सकता है। विभाग ने उत्तर में बताया² (मई 2018) कि जी0एस0टी0एन0 पोर्टल की एक्सेस उपलब्ध कराना और भूमिका की पटकथा बनाना केवल जी0एस0टी0एन0 परिषद के द्वारा ही सम्भव है।

जून 2020 में, मा0से0क0 कार्यान्वयन समिति ने नि0म0ले0प0 द्वारा प्रस्तावित डेटा एक्सेस व्यवस्था को स्वीकार किया जिसके अनुसार लेखापरीक्षा को जी0एस0टी0एन0 परिसर में पूर्ण पैर-इण्डिया डेटा एवं कर विभाग की बैक-एण्ड प्रणालियों का एक्सेस होगा। तदनुसार, जी0एस0टी0एन0 परिसर में मा0से0क0 डेटा का एक्सेस उपलब्ध कराया गया। तथापि, राज्य वाणिज्य कर विभाग की बैक-एण्ड एपलिकेशन का एक्सेस अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके बिना मा0से0क0 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा सम्भव नहीं है क्योंकि अधिकतर मा0से0क0 अभिलेख डिजिटल किये जा चुके हैं। इसके आलोक में, राज्य वाणिज्य कर विभाग की बैक-एण्ड प्रणालियों के एक्सेस से सम्बन्धित मामले पर सितम्बर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चर्चा की गयी। मामले में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (सितम्बर 2020)।

● वर्ष 2018-19 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा

2018-19 के दौरान, वाणिज्य कर विभाग के 769 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 94³ लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 579 मामलों में सन्निहित ₹ 108.20 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों में आता है जैसा कि सारणी-3.1 में सारणीकृत किया गया है।

¹ पत्र सं0 एजी (ई एण्ड आरएसए), यूपी/सेक्रेट./2018-19/03 दिनांक 05 अप्रैल 2018 द्वारा।

² पत्र सं0 ज्वाइन्ट कमिश्नर (आडिट)/2018-19/431/वाणिज्य कर दिनांक 21 मई 2018 द्वारा।

³ इसमें अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश शासन (01), ज्वा0 कमि0 (19), खण्ड (64), सचल दल इकाइयाँ (09) एवं प्रशासनिक इकाई (01) सम्मिलित हैं।

सारणी-3.1

क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	कर का अविनिर्धारण	127	29.64
2	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकार्यता	22	2.14
3	खरीद/बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन	04	0.17
4	इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) की अनियमित/गलत/अधिक अनुमन्यता	83	8.21
5	ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना	68	3.08
6	अर्थदण्ड का अनारोपण	243	59.45
7	अन्य अनियमितताएँ ⁴	32	5.51
योग		579	108.20

वर्ष 2018-19 में इंगित किये गये मामलों में विभाग ने (अप्रैल 2018 एवं अगस्त 2020 के मध्य) 31 मामलों में ₹ 94.61 लाख की धनराशि को स्वीकार किया तथा 13 मामलों में ₹ 11.29 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया। अग्रेतर, वर्ष 2018-19 से पूर्व के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में विभाग ने (अक्टूबर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य) 132 मामलों में ₹ 12.70 करोड़ की धनराशि को स्वीकार किया तथा 65 मामलों में ₹ 2.09 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

यह अध्याय ₹ 37.92 करोड़ मूल्य के 67 मामलों की विवेचना करता है। ये मामले, कर निर्धारण वर्ष जिसके लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 तथा केंद्रीय बिक्री कर (कें0बि0क0) अधिनियम, 1956 लागू थे, से सम्बन्धित थे। विभाग ने 43 मामलों में ₹ 29.06 करोड़ की धनराशि को स्वीकार किया, जिसमें से विभाग ने 13 मामलों में ₹ 78.68 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया। इस प्रकार के मामले विगत पाँच वर्षों में बार-बार प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद इन अनियमितताओं में से कुछ लगातार बनी रहती हैं, जैसा कि सारणी-3.2 में वर्णित है। इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाइयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।

सारणी-3.2

प्रेक्षणों की प्रकृति	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
कर की गलत दर का लगाया जाना	75	8.49	132	7.49	35	2.72	24	2.00	58	12.36	324	33.06
पंजीयन प्रमाणपत्र (पं0प्र0) से अनाच्छादित वस्तु पर अनियमित छूट की अनुमन्यता	16	1.03	9	0.41	7	0.27	24	3.80	14	1.05	70	6.56
अननुमन्य आई0टी0सी0	15	12.41	21	0.87	15	0.77	20	1.18	27	1.01	98	16.24
स्रोत पर कटौती किये गये कर को विलम्ब से जमा किया जाना	28	8.74	25	8.75	14	2.98	28	8.05	69	26.80	164	55.32

⁴ अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध व्यापारियों द्वारा अधिक वसूले गये राजस्व को जब्त न किया जाना, अपंजीकृत व्यापारियों का पंजीकरण न कराया जाना, वसूले गये राजस्व को कोषागार में विलम्ब से जमा किया जाना, अभिलेखों/रजिस्ट्रों का रख-रखाव न किया जाना आदि।

अनियमितताओं की पुनरावृत्तीय प्रकृति यह प्रमाणित करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष इंगित किये जाने के बाद भी सतत् अनियमितताओं पर ध्यान देने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं किये।

संस्तुति:

विरासत के मू0सं0क0 मामलों का कर निर्धारण प्रक्रिया में है, राज्य सरकार ऐसे मामलों के कालातीत होने से पूर्व, प्रतिवेदित किये गये अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठा सकती है। इस बात की प्रबल सम्भावना है कि इस स्तर पर राजस्व का अधोषित रिसाव बिना पता लगे ही रह जाये क्योंकि निकट भविष्य में प्रणाली पूर्ण रूप से मा0से0क0 प्रशासन पर केन्द्रित रहेगी।

3.3 टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

वाणिज्य कर विभाग एवं आयकर विभाग में व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों का लेखापरीक्षा ने प्रतिसत्यापन किया और पाया कि उसके द्वारा ₹ 21.85 करोड़ मूल्य के माल का टर्नओवर का विवरण छिपाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ के कर एवं ₹ 9.51 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008⁵ के अन्तर्गत, कर निर्धारण प्राधिकारी (क0नि0प्रा0) से अपेक्षित है कि वह व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में रखी जाने वाली पुस्तकों, खातों एवं अभिलेखों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच के पश्चात् कर निर्धारण सम्पन्न करें। अग्रेतर, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम⁶ के अन्तर्गत, जहाँ पर व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या जानबूझकर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो, या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या संदाय कर का अपवंचन किया हो, जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि, वह कर यदि उसके द्वारा देय हो, के साथ-साथ छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल), वाणिज्य कर, इलाहाबाद, के कार्यालय में एक व्यापारी द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी, प्रपत्र सं0 3सीडी⁷, बैलेंस शीट तथा व्यापारिक एवं लाभ-हानि खाता और मू0सं0क0 अवधि के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के कर निर्धारण आदेशों का आयकर विभाग से प्राप्त (दिसम्बर 2019) प्रपत्र सं0 3सीडी, बैलेंस शीट तथा व्यापारिक एवं लाभ-हानि खाता के साथ प्रतिसत्यापन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यापारी द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए आयकर विभाग में दाखिल वार्षिक विवरणी की तुलना में वाणिज्य कर विभाग (वा0क0वि0) में ₹ 21.85 करोड़ मूल्य के वाहनों एवं वाहनों के एसेसरीज तथा स्पेयर पार्ट्स की बिक्री का टर्नओवर छिपाया गया। यह पाया गया कि एक ही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म ने अलग-अलग प्रपत्र 3सीडी के सेट तैयार किये जो कि वाणिज्य कर विभाग एवं आयकर विभाग में दाखिल किये गये। क0नि0प्रा0 ने सितम्बर 2017 एवं मार्च 2019 के मध्य उक्त वर्षों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 21.85 करोड़ के छिपाये गये टर्नओवर का पता लगाने में विफल रहे। इस कारण, व्यापारी पर ₹ 3.17 करोड़ के कर का अनारोपण के साथ-साथ छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 9.51 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ। विवरण सारणी-3.3 में उल्लिखित है।

⁵ उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 28।

⁶ उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 54(1)(2)।

⁷ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी के अन्तर्गत आँकड़ों का विवरण प्रपत्र सं0 3सीडी में देना आवश्यक है। जिसमें साझीदार/सदस्यों का नाम एवं उनके लाभ के हिस्से का प्रतिशत, कुल लाभ, अन्तिम रहितिया के मूल्यांकन का तरीका एवं मूल्यहास का विवरण सम्मिलित होता है।

सारणी-3.3
टर्नओवर का करनिर्धारण से छूट जाना

							(₹ लाख में)
वर्ष	आ0क0वि0 में दाखिल प्रपत्र 3सीडी में दर्शाया गया टर्नओवर	वा0क0वि0 में दाखिल प्रपत्र 3सीडी में दर्शाया गया टर्नओवर	प्रपत्र-52 ⁸ में दर्शाया गया बिक्री का टर्नओवर	टर्नओवर जिस पर कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारित हुआ	टर्नओवर जिस पर कर निर्धारण नहीं हुआ (1-3) ⁹	कम घोषित बिक्री पर आरोपणीय कर (14.5 प्रतिशत की दर से)	छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपणीय अर्थदण्ड
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013-14	10,213.91	9,683.43	9,683.43	9,683.43	530.48	76.92	230.76
2014-15	13,255.24	12,408.13	12,408.13	12,411.63	847.11	122.83	368.49
2015-16	14,942.96	14,135.38	14,135.38	14,138.88	807.58	117.10	351.30
योग	38,412.11		36,226.94		2,185.17	316.85	950.55

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को दिसम्बर 2019 में प्रतिवेदित किया। इस सम्बन्ध में (जून 2020), विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के आधार पर वाद का पुनः कर निर्धारण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

संस्तुतियाँ:

1. विभाग राजस्व के हितों की रक्षा के लिए वा0क0वि0 को प्रस्तुत की गई कार्यवाही योग्य सूचनाओं का अन्य कराधान प्राधिकारियों के साथ प्रतिसत्यापन के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकता है।
2. विभाग चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के विरुद्ध गलत प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने हेतु भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का संस्थान के साथ चर्चा करके कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।

3.4 कर की गलत दर का लगाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 23.07 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर कर की दरों को सत्यापित किये बिना कर विवरणियों में उल्लिखित दरों के अनुसार स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 1.95 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित किया गया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत, कर मुक्त वस्तुएं अनुसूची I में उल्लिखित हैं तथा वस्तुओं पर लागू कर की दरों के अनुसार कर योग्य वस्तुएं अनुसूची II से IV में उल्लिखित हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं तथा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त कर के अतिरिक्त, शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने (सितम्बर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) 10 वा0क0का0 में 2,277 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि 13 व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (अप्रैल 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य), ₹ 23.07 करोड़ के माल की

⁸ 52 व्यापारी द्वारा वा0क0वि0 में दाखिल वार्षिक विवरणी है, जिसमें खरीद, बिक्री, आईटीसी, कर की गणना आदि का विवरण होता है।

⁹ कालम 1 व 3 यहां लिया गया जिस पर कर का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इन कालम में व्यापारी द्वारा स्वयं आ0क0वि0 एवं वा0क0वि0 दोनों में अपने टर्नओवर को घोषित किया गया है, जबकि कालम 4, व्यापारी द्वारा घोषित बिक्री के साथ जले हुये तेल का अपवंचित टर्नओवर जिसे व्यापारी द्वारा वा0क0वि0 में अपनी वार्षिक विवरणी में घोषित नहीं किया गया, को दर्शाता है।

बिक्री पर व्यापारियों द्वारा कर विवरणियों में उल्लिखित शून्य से पाँच प्रतिशत की दर को स्वीकार किया। क0नि0प्रा0 अनुसूची के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर प्रभावी पाँच से 14.5 प्रतिशत की दर को सत्यापित और आरोपित करने में विफल रहे। इस प्रकार, ₹ 1.95 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित हुआ (परिशिष्ट-IV)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर में (मार्च 2020), विभाग ने सात मामलों में ₹ 1.62 करोड़ धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया, जिसमें से तीन मामलों में ₹ 6.68 लाख की वसूली उनके द्वारा प्रतिवेदित की गयी। दो मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार नहीं किया। इन दो मामलों में विभाग के उत्तर का विश्लेषण सारणी-3.4 में सूचीबद्ध है।

सारणी-3.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	डि0कमि0 खण्ड-05 गाजियाबाद: प्लास्टिक पोल्ट्री इक्विपमेंट की बिक्री पर आरोपणीय दर 14 प्रतिशत के विरुद्ध पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, प्लास्टिक गुड्स के स्थान पर पोल्ट्री इक्विपमेंट का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 4 जून 2019 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 30 मई 2017 को पारित प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश के विभिन्न पृष्ठों पर पोल्ट्री इक्विपमेंट को दर्शाया गया है। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं पायी जा सकती है। अग्रतर, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी ने स्वयं भी अपने वार्षिक विवरणी में इसी वस्तु को दर्शाया है। विभाग द्वारा प्लास्टिक गुड्स की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के समर्थन में अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार पोल्ट्री इक्विपमेंट पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
2	डि0कमि0 खण्ड-18 गाजियाबाद: कर निर्धारण आदेश में लकड़ी की बिक्री पर आरोपणीय दर 14 प्रतिशत के विरुद्ध पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था।	विभाग ने बताया कि खरीद सूची के अनुसार वुडेन शेविंग पैकिंग की खरीद की गयी थी जिसे विक्रेता व्यापारी के सूची से भी सत्यापित कर लिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये अनुलग्नकों और अपने वार्षिक विवरणी दोनों में एवं क0नि0प्रा0 द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में भी लकड़ी की बिक्री को दर्शाया गया था। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार लकड़ी पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।

अवशेष ₹ 27.60 लाख की धनराशि के चार मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (सितम्बर 2020)।

संस्तुति:

विभाग को क0नि0प्रा0 द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों की उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा आवधिक समीक्षा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए।

3.5 फार्म 'सी' के विरुद्ध क्रय किये गये माल पर अनियमित रियायत की अनुमन्यता

व्यापारियों ने घोषणा पत्र फार्म 'सी' के विरुद्ध कर की रियायती दर से ₹ 14.32 करोड़ के मूल्य का माल क्रय किया जो कि उनके पंजीयन प्रमाणपत्रों (पं0प्र0) से आच्छादित नहीं था अथवा उनका प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किया गया जिस हेतु पं0प्र0 प्रदान किया गया था। तथापि, क0नि0प्रा0 द्वारा ₹ 2.48 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

के0बि0क0 अधिनियम, 1956¹⁰ के अन्तर्गत, एक पंजीकृत व्यापारी राज्य के बाहर से फार्म 'सी' जो कि क्रेता व्यापारी द्वारा जारी किया गया हो में घोषणा के विरुद्ध कर की रियायती दर से कोई माल की खरीद कर सकता है। के0बि0क0 अधिनियम¹¹ के अन्तर्गत, यदि उससे सम्बन्धित पं0प्र0 ऐसे माल को आच्छादित नहीं करता है अथवा ऐसे माल का प्रयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किया जाता है, जिस हेतु पं0प्र0 प्रदान किया गया है तो व्यापारी अभियोजन का पात्र होगा। तथापि, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी इसे उचित समझे, तो, वह अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने (जनवरी 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) नौ वा0क0का0 में 2,323 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि 10 व्यापारियों ने वर्ष 2011-12 और 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 14.32 करोड़ मूल्य के माल की खरीद, फार्म 'सी' में घोषणा के विरुद्ध कर की रियायती दर से की थी। तथापि, खरीदा गया माल उनके सम्बन्धित पं0प्र0 से आच्छादित नहीं था अथवा उसका प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किया गया, जिस हेतु पं0प्र0 प्रदान किया गया था जिसके लिये वे अभियोजन के स्थान पर, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे। क0नि0प्रा0 ने, जुलाई 2014 एवं मार्च 2018 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय, सुसंगत पं0प्र0 और प्रश्नगत व्यापारियों के फार्म 'सी' के उपयोग के ब्यौरों की संवीक्षा नहीं की एवं परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हो सका (परिशिष्ट-V)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (मार्च 2020) में, विभाग ने नौ मामलों में ₹ 63.28 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया, जिसमें से पाँच मामलों में, ₹ 36.06 लाख की वसूली प्रभावित थी।

अवशेष ₹ 1.84 करोड़ की धनराशि के एक मामले में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (सितम्बर 2020)।

संस्तुति:

विभाग यह सुनिश्चित करे कि कर निर्धारण को अन्तिम रूप से पारित करते समय पं0प्र0 एवं उपयोग प्रमाणपत्रों, जहाँ ऐसी रियायतों पर विचार करते हैं, का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें।

¹⁰ के0बि0क0 अधिनियम, 1956 की धारा 8।

¹¹ के0बि0क0 अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए एवं 10-डी।

3.6 व्यापारियों को अननुमन्य आईटीसी का अनुमन्यता

व्यापारियों ने ₹ 2.88 करोड़ की धनराशि की आईटीसी का त्रुटिपूर्ण दावा किया जिसे कि क०नि०प्रा० द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 4.52 करोड़ की आईटीसी ब्याज सहित अनुत्क्रमित रही।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008¹² के अन्तर्गत, पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयोग के लिये कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ राज्य के भीतर व्यापारियों को कर बीजकों के विरुद्ध राज्य के पंजीकृत व्यापारियों के मामले में खरीदे माल पर अदा किये गये कर अथवा अपंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गये माल पर नकद जमा किये गये कर का लाभ, उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार दी गयी सीमा तक आईटीसी के रूप में अनुमन्य है। अग्रेतर¹³, यदि कोई व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण रीति से आईटीसी का दावा किया है तो, आईटीसी का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित होगा।

लेखापरीक्षा ने (सितम्बर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) 18 वा०क०का० में 6,694 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि 18 व्यापारियों ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 2.88 करोड़ की आईटीसी का त्रुटिपूर्ण दावा किया था, जो कि उन्हें अनुमन्य नहीं था। क०नि०प्रा०, से अपेक्षित था कि वे (नवम्बर 2016 एवं मार्च 2018 के मध्य) कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय, इस गैर-अनुमन्य आईटीसी को उत्क्रमित करते एवं व्यापारियों को अनुत्क्रमित आईटीसी की राशि को साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश देते जो कि उत्क्रमित नहीं की गई थी। इस असफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹ 4.52 करोड़ (आईटीसी ₹ 2.88 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.64 करोड़) की आईटीसी का ब्याज सहित उत्क्रमण नहीं हुआ (परिशिष्ट-VI)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं मई 2019 के मध्य)। उत्तर (मार्च 2020) में, विभाग ने छः मामलों में ₹ 1.48 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया, जिसमें से एक मामले में ₹ 9.33 लाख की वसूली विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई। पाँच मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया। इन पाँच मामलों में विभाग के उत्तरों का विश्लेषण सारणी-3.5 में सूचीबद्ध है।

सारणी-3.5

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई/प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	ज्वा०क०मि० (का०स०) आगरा: प्रतिसत्यापन के दौरान ₹ 1.46 करोड़ की आईटीसी सत्यापित नहीं पायी गयी। इसलिए, उसे ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाना चाहिए।	विभाग ने बताया कि व्यापारी द्वारा खरीद पर अदा किये गये कर एवं इसके लेखों की जांच के पश्चात कर निर्धारण के समय आईटीसी अनुमन्य की गयी थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग के आन्तरिक पत्राचार से स्पष्ट है कि विभाग के अन्दर प्रतिसत्यापन के दौरान ₹ 1.46 करोड़ की आईटीसी सत्यापित नहीं पायी गयी।
2	डिप्टी कमि०, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर: व्यापारी द्वारा दाखिल विवरण के अनुसार करमुक्त वस्तुएँ (कोई कर नहीं) आर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर, जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर और मैक्रो	टंकण की त्रुटि के कारण अपने मासिक विवरणों में, अपनी खरीद सूची में पेस्टीसाइड, फर्टिलाइजर यूरिया के स्थान पर आर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर, जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर और मैक्रो	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर, जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर और मैक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर करमुक्त वस्तुएँ हैं जिस पर मू०सं०क० नहीं लगता। अग्रेतर, विभागीय दावों को स्थापित करने के लिए कोई अभिलेखीय साक्ष्य

¹² उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 13।

¹³ उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 14(2) के अन्तर्गत।

क्र० सं०	लेखापरीक्षित इकाई/प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
	न्यूट्रिएंट मिक्सचर पर आई०टी०सी० का दावा किया गया। अतः, करमुक्त वस्तुओं की खरीद पर व्यापारी द्वारा दावाकृत आई०टी०सी० को उत्क्रमित किया जाना चाहिए था।	न्यूट्रिएंट मिक्सचर की खरीद को दर्शाया गया था जिसे दिनांक 01 फरवरी 2020 को धारा-31 के अन्तर्गत संशोधित कर दिया गया।	लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उपरोक्त वस्तुओं पर अधिक आई०टी०सी० का लाभ दिया जाना स्पष्ट नहीं है एवं टंकण की त्रुटि से सम्बन्धित उत्तर स्वीकार्य नहीं है।
3	डिप्टी कमि० खण्ड-22, लखनऊ: कैपिटल गुड्स (टूल्स) पर अर्जित समस्त आई०टी०सी० का दावा एवं समायोजन उसी वर्ष के देय कर के विरुद्ध किया गया। मू०सं०क० नियमावली के अनुसार कैपिटल गुड्स पर आई०टी०सी० का दावा तीन लगातार वर्षों में तीन समान किश्तों में किया जाता है। अतः इसे ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाना चाहिए।	व्यापारी ने कन्ज्यूमेबल गुड्स जैसे कि प्रिंटिंग इंक, पेन्ट और वार्निश इत्यादि पर आई०टी०सी का दावा किया है, जो कि उसके वार्षिक विवरण में टूल्स के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार यह कैपिटल गुड्स न होकर कन्ज्यूमेबल गुड्स है जिसका प्रयोग व्यापारी द्वारा अपने निर्माण की प्रक्रिया में किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों के अनुसार "टूल्स" का ही उल्लेख किया गया है और क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण करते समय उसे ही स्वीकार किया गया है। अग्रेतर, विभागीय दावों को स्थापित करने के लिए कोई अभिलेखीय साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। जैसा कि, टूल्स एक कैपिटल गुड्स होने के कारण, आई०टी०सी० का दावा तीन लगातार वर्षों में तीन समान किश्तों में किया जाना चाहिए।
4	डिप्टी कमि० खण्ड-3 नोएडा : आडिट रिपोर्ट (प्रपत्र-XXIII) में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सी०ए०) द्वारा प्रमाणित एवं व्यापारी द्वारा अपने वार्षिक विवरणी में अग्रेनीत दावाकृत आई०टी०सी० के विरुद्ध पिछले वर्ष से अधिक अग्रेनीत आई०टी०सी० व्यापारी को कर निर्धारण आदेश में अनुमन्य की गयी।	विभाग ने बताया कि व्यापारी द्वारा कर निर्धारण के समय संशोधित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किया गया जिसमें अग्रेनीत दर्शायी गयी आई०टी०सी० व्यापारी को कर निर्धारण के समय अनुमन्य की गयी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि सी०ए० द्वारा संशोधित आडिट रिपोर्ट (प्रपत्र-XXIII) को प्रमाणित किए बिना व्यापारी द्वारा संशोधित वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया गया एवं कर निर्धारण के समय कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार किया गया। अग्रेतर, विभागीय दावों को स्थापित करने के लिए कोई अभिलेखीय साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार सी०ए० द्वारा संशोधित प्रपत्र-XXIII को प्रमाणित किए बिना आई०टी०सी० का लाभ प्रश्नगत है।
5	डिप्टी कमि० खण्ड-8 वाराणसी: गणना में हुई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई०टी०सी० को अनुमन्य करते समय, अधिक आई०टी०सी० अनुमन्य की गयी।	विभाग ने बताया कि बिक्री पर कुल देय कर ₹ 6,02,483 था। जिसका भुगतान ₹ 4,16,694 के आई०टी०सी० के समायोजन से एवं ₹ 1,85,796 कर के भुगतान द्वारा व्यापारी ने किया। तथापि, टंकण त्रुटि के कारण, कर निर्धारण आदेश में आई०टी०सी० अनुमन्य ₹ 6,02,483 दर्शायी गयी थी, जिसे दिनांक 6 फरवरी 2020 को धारा-31 के अन्तर्गत अब संशोधित कर लिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 20 मार्च 2018 को पारित किये गये प्रारम्भिक आदेश में व्यापारी के द्वारा जमा की गयी धनराशि का कर निर्धारण आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों एवं कर निर्धारण आदेश दोनों में वर्ष के दौरान अर्जित आई०टी०सी० ₹ 6,02,483 ही दर्शायी गयी थी। अग्रेतर, विभागीय दावों को स्थापित करने के लिए कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः टंकण की त्रुटि से सम्बन्धित उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

अवशेष ₹ 41.71 लाख की धनराशि के सात मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (सितम्बर 2020)।

संस्तुति:

विभाग को ऐसे संव्यवहारों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करना चाहिये जहाँ कि व्यापारियों द्वारा आईटीसी का दावा किया जा रहा है और क०नि०प्रा० द्वारा आईटीसी का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है।

3.7 स्रोत पर काटे गये कर का विलम्ब से जमा किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने स्रोत पर काटे गये कर ₹ 8.15 करोड़ की धनराशि को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर व्यापारियों पर ₹ 16.29 करोड़ के अर्थदण्ड की धनराशि को आरोपित नहीं किया था।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008¹⁴ के अन्तर्गत, ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत, देय धनराशि में से चार प्रतिशत धनराशि के बराबर कर की कटौती करेगा। कर की कटौती करने में असफल रहने या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20 वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहने की दशा में, क०नि०प्रा० ऐसे व्यक्ति को, अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

लेखापरीक्षा ने (अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) 16 वा०क०का० में 6,336 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि 25 व्यापारियों ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान संविदाकार को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 8.15 करोड़ कर की धनराशि की कटौती की परन्तु इसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर राजकोष में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिनों से लेकर 301 दिनों तक की थी। क०नि०प्रा०, ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (अक्टूबर 2016 एवं मार्च 2018 के मध्य), न तो ₹ 16.29 करोड़ के देय अर्थदण्ड का आरोपण किया और न ही अर्थदण्ड के अनारोपण के लिए कोई कारण ही अंकित किया (परिशिष्ट-VII)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2018 एवं मई 2019 के मध्य)। उत्तर (मार्च 2020) में, विभाग ने 20 मामलों में ₹ 12.65 करोड़ की धनराशि का लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया, जिसमें से चार मामलों में ₹ 26.61 लाख की वसूली विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई।

अवशेष ₹ 2.70 करोड़ के पाँच मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (सितम्बर 2020)।

संस्तुति:

व्यापारियों/ठेकेदारों द्वारा टीडीएस को विलम्ब से जमा किये जाने के मामलों में विभाग को अर्थदण्ड का आरोपण सुनिश्चित करना चाहिए।

¹⁴ उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम, 2008 की धारा 34(8) सपटित धारा 34(1)।